भाग एक: खण्ड अट्ठारह

मध्यप्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा

प्रतिसंहरण नियम, 1974

(म.प्र. राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 18-8-73-3-2-X-दिनांक 11 जून 1976 द्वारा भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम की धारा 11 की शक्ति के प्रयोग में एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम ब नाये हैं जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 17-9-1976 के पृष्ठ 661, 668-678, पार्ट IV (Ga) पर प्रकाशित हुए।)

नियम 1. ये नियम मध्यप्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण नियम, 1974 कहे जायेंगे।

नियम 2. इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(A) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है - म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधि. 1973 (क्रमांक 33 सन् 1973)

(B) ''प्रारूप'' (Form) से अभिप्रेत है - इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(C) ''धारा'' - से अभिप्रेत है - अधिनियम की धारा;

(D) ऐसे अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका कि इन नियमों में उपयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है - वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया है।

नियम 3. वन मण्डल अधिकारी (The Divisional Forest Officer) समस्त शाश्वत पट्टा, पट्टेदारों का विवरण (Statement) तैयार करेगा जिन्होंने कि शाश्वत पट्टे की शर्त और निबन्धनों के अनुसार 1 अक्टूबर 1973 से पहले वन भूमि के किसी भाग को साफ किया है या खेती के अधीन लाया है और विवरण की प्रति कलेक्टर को अग्रसर करेगा।

नियम 4. प्रत्येक पट्टेदार, जिनका शाश्वत पट्टा प्रतिसंह्यत (Revoked) हो गया हो, वह प्रारूप 'क' में कलेक्टर के सामने वन भूमि के सामने वन भूमि के बारे में एक विवरण पेश करेगा।

नियम 5. पट्टेदार द्वारा ऐसा विवरण स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये विधि व्यवसायी द्वारा या इस बारे में उसकी ओर से लिखित उसके अभिकर्ता द्वारा पेश किया जा सकेगा या रजिस्ट्री द्वारा पावती रसीद के साथ भेजा जा सकेगा।

नियम 6. विवरण प्राप्त होने पर, कलेक्टर धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा (Required) किये अनुसार, मामले में कोई जांच प्रारम्भ करने के पूर्व, विवरण में दिये गये सुसंगत ब्यौरों का डिवीजनल आफिसर फारेस्ट द्वारा सत्यापित कराएगा।

नियम 7. कलेक्टर, पट्टेदार को प्रारूप 'ख' मं, में से कम पन्द्रह दिन पूर्व, एक सूचना देगा, जिससे पट्टेदार को देय प्रतिकर (मुआवजे) की रकम के अवधारण के संबंध में उसे अपने मामले को रिप्रजेन्ट करने का अवसर दिया जा सके।

नियम 8. सूचना की तामील, म.प्र. भू. राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20/1959) की संलग्न सूची (एक के अनुसार (एक) में अन्तर्विष्ट राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों के नियम 1 से 10 में दी गई रीति से की जायेगी।

नियम 9. किसी ऐसे शास्वत पट्टे के मामले में, जिसमें वन भूमि का कोई भाग पट्टेदार द्वारा 1-10-1973 के पूर्व साफ (Clear) कर दिया गया हो तथा खेती के अधीन लगाया गया हो, कलेक्टर इस साफ किये गये तथा खेती के अधीन लगाये गये क्षेत्र का सत्यापन करेगा और उसका व्यवस्थापन, पट्टेदार केन्द्र पर भूमि स्वामी अधिकार में नीचे दिये गये निबन्धनों तथा शर्तों पर - मध्यपद्रशे कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अधीन नियत अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए करेगा: अर्थत् –

(A) इन नियमों के अधीन व्यवस्थापन की गई भूमि के लिए पट्टेदार राज्य सरकार को निम्नलिखित दर से प्रीमियम का भुगतान करेगा:

पट्टेदार के नाम व्यवस्थापन की गई कृषिगत भूमि के लिये प्रीमियम की दरें:

(1)	जहां बन्दोबस् (व्यवस्थापन) की गई भूमि 10 एकड़ से अधिक नहीं हो	प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिये 100/- सौ रुपये
(2)	जहां व्यवस्थापन की गई भूमि 10 एकड़ से अधिक हो किन्तु 50 एकड़ से अधिक नहीं हो	1000/- एक हजार रु. + 10 एकड़ से अधिक प्रत्येक एकड़ उसके भाग के लिये 110/- एक सौ दस रुपये प्रति एकड़
(3)	जहां व्यवस्थापन की गई भूमि 50 एकड़ से अधिक हो	5400 रु. + 50 एकड़ से ऊपर के प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 120/- एक सौ बीस सरुपये; प्रति एकड़

(B) इस प्रकार आवंटित की गई भूमि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन होगी।

(C) इन नियमों के अधीन भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, पट्टेदार को दिये जाने वाले प्रतिकर (मुआवजे) यदि कोई हो, में से काटा जा सकेगा, यदि प्रीमियम की रकम से प्रतिकर की रकम कम हो तो पट्टेदार की ओर से ऐसे अन्तर (Difference) की रकम का भुगतान ऐसी कालावधि के भीतर किया जायेगा जो कलेक्टर द्वारा नियत की जाये। यदि शोध्य रकम का भुगतान इस प्रकार नियत किये गये समय के भीतर नहीं किया जाता है तो इस प्रकार किया गया भूमि आवंटन रद्द (Cancelled) कर दिया जायेगा।

नियम 10. कलेक्टर मामले की जांच (Enquiry) करेगा और पट्टेदार को भुगतान योग्य मुआवजे की रकम का अवधारण करेगा और फार्म (सी) में ऐसी अवधारण कर उसका विवरण अभिलिखित करेगा। इस प्रकार अभिलिखित विवरण की एक प्रति संबंधित पट्टेदार को तथा डिवीजनल आफीसर को निःशुल्क प्रदाय की जायेगी।

नियम 11. शाश्वत पट्टेदार को भुगतान योग्य रकम का अवधारण करने के पश्चत् कलेक्टर प्रारूप 'D' में एक नोटिस - जो तीन दिनों से कम का न हो - उसे यह सूचित करते हुए जारी करेगा कि वह उपरोक्त कालावधि में रकम प्राप्त करेगा और उसकी ओर से त्रुटि (व्यतिक्रम) (Default) करने पर, जब कोई रकम का भुगतान नहीं किया जा सके तो उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

नियम 12. शाश्वत पट्टेदार - जो इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट (Exemption) का क्लेम (दावा) करता है वह डिवीजनल फारेस्टर आफीसर को फार्म 'E' में विवरण पेश करेगा जो यह सत्यापित करेगा कि क्या अधिनियम की धारा 12 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का समाधान कियागया है? डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

प्रारूप - क

Form - A

{नियम 4 देखिये}

शाश्वत पट्टे के अधीन धारित वन भूमि की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

(शाश्वत पट्टेदार द्वारा भरा जाना है)

..... कलेक्टर से समक्ष

द्वारा डिवीजनल फारेस्ट आफिसर

.....

मैं ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी..... निवास स्थान..... पोस्ट आफिस ..... तहसील..... जिला..... निवेदन है कि व्यवस्थापन की जाने वाली, कृषिगत भूमि की सीमा तथा तथा अतिरिक्त अवशेष भूमि के लिये मुझे भुगतान होने योग्य प्रतिकर (मुआवजे) मेरे द्वारा 1 अक्टूबर 1973 पर धारित समस्त भूमि बाबत अवधारण करने हेतु विवरण (Statement) प्रस्तुत करता हूं/करती हूं।

भाग एक - शाश्वत पट्टे के अधीन धारित कृषिगत वन भूमि के ब्यौरे:

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण क्र. या भू-खण्ड क्र. या वन खण्ड का नाम या उपखण्ड क्र.	क्षेत्र	कालम 4 में का स्थाई रूप से सिन्चित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कालम 4 में का मौसमी सिंचित क्षेत्र	भूराजस्व् स्वरूप	अधिकारों का स्वरूप	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)

1. पट्टे की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

भाग दो - शाश्वत पट्टे के अधीन धारित वन भूमि पर भार:

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण क्र. या भूखण्ड क्र. या वन खण्ड का नाम या उपखण्ड क्र.	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेनदार (Creditor) का नाम तथा पता	भार की मुद्रा सीमा	बंधक विलेख आदि के ब्यौरे	टिप्पणियां	
(6)	(7)	(8)	(9)	

बंधक विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें।

भाग तीन - तारीख 1-10-73 के बाद शाश्वत पट्टे के अधीन धारित कृषिगत भूमि के अन्तरण (Transfer) या विभाजन (Partitions) को दर्शाने वाली विशिष्टियां

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण क्र. भूखण्ड क्र. वन खण्ड/उपखण्ड क्र. (Survey No./Plot No./Forest Block Compartment No.	क्षेत्र (Area)	भू-राजस्व Land Revenue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्तरण किये गये व्यक्ति का नाम तथा पता	वह प्रतिफल (Consideration) जिसके लिये अन्तरण किया गया	अन्तरण का ब्यौरा विक्रय/दान रजिस्ट्रीकृत/या अरजिस्ट्रीकृत	अन्तरण की तारीख	जिसकी ओर से विभाजन किया गया उसका नाम तथा पता	विभाजन के परिणामस्वरूप अन्तरित क्षेत्र
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
पट्टेदार से संबंध यदि कोई हो	विभाजन की तारीख	विभाजन के रजिस्ट्रीकृत/आरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के प्रति निर्देश	टिप्पणियां		
(13)	(14)	(15)	(16)		

भाग - चार - शाश्वत पट्टे के अधीन धारित कृषिगत वन भूमि पर लम्बित मुकद्देमेवाजी की विशिष्टियां:

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण क्र. भूखण्ड क्र. वन खण्ड उपखण्ड क्र. (Survey No./Plot No./Forest Block Compartment No.	क्षेत्र (Area)	भू-राजस्व Land Revenue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिविलवाद क्र. राजस्व मामला क्र./आपराधिक मामला क्र.	न्यायालय या कार्यालय का नाम	मुकद्दमेबाजी का संक्षिप्त स्वरूप			
(7)	(8)	(9)			

भाग - पांच - आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश में कहीं भी भूमि स्वामी अधिकारों में धारित किसी भी अन्य भूमि की विशिष्टियां –

जिला	तहसील	पटवारी हलका क्र. सहित ग्राम	प्रत्येक सर्वेक्षण क्र. भूखण्ड क्र.	क्षेत्र area कालम नं. (4) में खसरा या भूखण्ड क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कालम क्र. 4 में खसरा या भूखण्ड क्र. का क्षेत्र

कालम क्र. (4) में का स्थायी रूप से सिंचित क्षेत्र	कालम नं. (4) का Seasonal रूप से सिंचित क्षेत्र	भूराजस्व मौसमी	अधिकार	टिप्पणियां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भाग छः - उस कृषिगत वन भूमि का विवरण, जिसके शाश्वत पट्टेदार प्रतिधारित करना चाहता हैः

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण क्र. भूखण्ड क्र. वन खण्ड/उपखण्ड क्रमांक	कालम नं. (4) का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कालम नं. (4) का स्थायी रूप से सिंचित क्षेत्र	कालम नं. (4) का मौसमी रूप से सिंचित क्षेत्र	भूराजस्व	जिस भूमि को वह प्रतिधारित करना चाहता है उस भूमि पर फलदार वृक्षों को छोड़कर अन्य वृक्षों की संख्या	टिप्पणियां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भाग - सात - मामले में सुसंगत र्को अन्य जानकारी, जिसे शाश्वत पट्टेदार पेश करना चाहता हो, संलग्न-सपत्रों की सूची –

1. 2. 3. 4.

दिनांक..... माह..... सन्.....ई.....

आवेदक

शाश्वत पट्टेदार के हस्ताक्षर

फार्म – B प्रारूप (ख)

(नियम 7 देखिए)

प्रति,

श्री ..... आत्मज ..... निवासी ग्राम..... तहसील..... जिला.....

चूंकि मध्य प्रदेश वन भूमि पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973 क्रमांक 33/1973) की धारा 6 के अनुसरण में अपने शाश्वत पट्टे के अधीन धारित वन भूमि के सम्बन्ध में विवरण पेश किया है।

अतएव आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि में पुनर्ग्रहण पर आपको देय प्रतिकर (Compensation) की रकम के अवधारण (Determination) के सम्बन्ध में अपने मामले का अभ्यावेदन (Representation) करने के लिए तारीख ..... को या तो स्वयं या किसी वकील या अभिकर्ता (Agent) द्वारा उपस्थित हो।

कलेक्टर.....

.

जिला .....

फार्म – C (प्रारूप - ग)

नियम 10 देखिए)

मैंने विवरण में दिये गये सुसंगत ब्यौरों का स्ययापन करा लिया है तथा आवेदक की व्यक्तिगत रूप से अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा सुनवाई करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष आदेश अभिलिखित करता हूं-

1. भाग दो - भार
2. भाग तीन - विभाजन
3. भाग चार - मुकद्दमें बाजी
4. भाग पांच - धारित अन्य भूमि
5. भाग छः - व्यवस्थापन की जाने वाली कृषिगत वन भूमि की विशिष्टियां तथा वसूल किया जाने वाला प्रीमियम
6. अधिशेष कृषिगत भूमि सम्बन्धी विशिष्टियां तथा उसके लिये देय प्रतिकर

आदेश

एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ..... रुपये देय प्रतिकर में से कटौती करने के पश्चात् या अन्यथा तथा भूमि पर भार की कटौती करने के पश्चात् शुद्ध प्रीमियम की वसूली के पश्चात् गांव/वन खण्ड की कृषिगत (भूमि) वन भूमि का - जिसका विवरण ..... माप ..... एकड़ है ..... के पक्ष में निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए –

भूमि स्वामी अधिकार देकर व्यवस्थापन (Settle) कर दिया जाए -

(A) व्यवस्थापन की गई भूमि का भू-राजस्व ..... रुपये नियत किया जाता है।

(B) .....

कलेक्टर

जिला

.....

फार्म – D

प्रारूप (घ)

(नियम 11 देखिए)

कलेक्टर ..... के न्यायालय में, चूंकि श्री ..... आत्मज ..... ग्राम ..... तहसील .....जिला..... का, जो कि शाश्वत पट्टेदार हैं ..... वन भूमि के शाश्वत पटटेदारी के प्रतिसंहरण के बदले में (Compensation) मंजूर किया गया हैं। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि इस सूचना की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर किसी भी दिन आप मेरे समक्ष उपस्थित हों तथा रकम प्राप्त करें।

यदि आप प्रतिकर की रकम प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त कालावधि के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं तो आप उपरोक्त रकम पर किसी भी ब्याज के क्लेम (दावे) के लिए - चाहे वह जो कुछ भी हो - हकदार नहीं होंगे।

कलेक्टर

जिला

.....

Form – E

(प्रारूप - ङ)

(नियम 12 देखिए)

अधिनियम की धारा 12 के अधीन छूट के लिये डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के समक्ष पेश की जाने वाली विवरणी – (Return) (विवरणी) 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली तथा 30 जून को समाप्त होने वाली कालावधि के लेखाओं से सम्बन्धित होना चाहिये तथा वह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में फाइल की जाना चाहिये)

1. शाश्वत पट्टेदार का नाम तथा स्थाई पता .....

2. शाश्वत पट्टे के ब्यौरे (Details to the perpetual lease) –

(एक) स्थिति (Situation).....

(दो) क्षेत्र तथा विस्तार (Area and extent) .....

(तीन) अधिकारों का स्वरूप (Nature of rights) .....

(चार) देय पट्टा भाड़ा (Lease rent payable) .....

3. आय तथा व्यय के ब्यौरे –

(i) 1 जुलाई से ..... 30 जून ..... तक

(ii) कुल आय ..... रुपये .....

(iii) कुल व्यय ..... रुपये .....

(iv) शुद्ध आय (Net income) रुपये .....

4. जन साधारण की उन्नति या जनता के कमजोर वर्गों तथा विशेषतः अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के शैक्षणिक या आर्थिक हितों की उन्नति के लिये विनियोजित आय के ब्यौरे।

.....

शाश्वत पट्टेदार

(Perpetual Leassee)

संलग्न -

(प्रमाणित प्रतियां, 1.

बैलेन्स शीट तथा 2.

अन्य दस्तावेजों की) 3.